राजस्थान-सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,जयपुर-302017

कमांक एफ.1(112)संस्था-।।/रीपा/क.स./2018/ 4366 दिनाक:- 30.6.2020

कार्यालय-आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित, कनिष्ठ सहायक, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(1) प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 16.05.2020 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर निम्नलिखित शर्तो पर एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	10135	सुश्री रेखा मीणा	श्री रामेश्वर दयाल मीणा	29.04.1997	स्त्री	एसटी	जयपुर
2	421	श्री आशुतोष तिवारी	श्री गोपीनाथ शर्मा	08.11.1986	पुरूष	सामान्य	जयपुर
3	6690	श्री जितेन्द्र बैरवा	श्री श्रवण लाल बैरवा	09.02.1993	पुरूष	एससी	कोटा
4	240	श्री विनय कुमार श्रीमाली	श्री भुवनेश्वर श्रीमाली	29.11.1993	पुरूष	सामान्य	उदयपुर
5	373	श्री यतीश कुमार भारद्वाज	श्री कं.गव कुमार	20.06.1995	पुरूष	सामान्य	जोधपुर
6	452	श्री पंकज	श्री दयान द	03.07.1995	पुरूष	सामान्य	बीकानेर
7	6657	श्री मोहित सिंह	श्री चिरं त सिंह	25.03.1995	पुरूष	एससी	जोधपुर
3	6750	श्री नवीन कुमार जलुथरिया	श्री ओंक मल जलुथरिय	10.12.1994	पुरूष	एससी	बीकानेर
9.	9341	श्री अभिषेक मीणा	श्री रामजी लाल मीणा	15.05.2000	पुरूष	एसटी	जोधपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अध्ययधीन प्रदान की जाती है:-

1. राज्य में कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ह.च.मा.रीपा, जयपुर मुख्यालय में पद कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट

Estt.II

30/6/2020

करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर देवें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/ रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 03.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश सं. 13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी, एमबीसी/ जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011/ 68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों /सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse report) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र सही हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज/सूचना कूटरचित या अप्रमाणित पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक लेवल संख्या-5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

Estt.II

30/6/2020

12. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय-2018 के लिए निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

15. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा-पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, दहेज नहीं लेने-देने का शपथ-पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का मूल रूप (Original Documents) का मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

30/6/2020

(डॉ. भागचन्द बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कमांक एफ.1(112)संस्था-।।/रीपा/क.स./2018/ 4567-92 दिनाक:- 30-6-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सं./अनु-3/2020 जयपुर, दिनांक 16.05.2020 के क्रम में।
3. निजी सचिव, निदेशक, ह.च.मा.रीपा, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, ह.च.मा.रीपा, जयपुर।
5. अति.निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (प्रशासन)
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, परिसर-उदयपुर, कोटा, बीकानेर व जोधपुर
7. सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी
8. लेखा शाखा, ह.च.मा.रीपा, जयपुर।
9. संस्थापन/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम
10. गार्ड फाईल।

(प्रगति आसोपा)
उप निदेशक (प्रशासन)

Estt.II